**-:प्रेस नोट:-**

**दिनांक- 04.01.2026**

**कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा**

- **थाना कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा नकली भारतीय मुद्रा तैयार करने एवं उसे बाजार में खपाने वाले संगठित अन्तरजनपदीय गिरोह का किया गया भंडाफोड़।**
- **गिरोह के दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से कुल ₹1,12,500/- मूल्य के जाली नोट व जाली नोट बनाने के उपकरण/सामग्री बरामद।**

**विवरण**- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के मार्गदर्शन एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री मेविस टॉक के नेतृत्व में आज दिनांक 04.01.2026 को थाना कोतवाली नगर एवं एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा नकली भारतीय मुद्रा के निर्माण एवं प्रचलन में संलिप्त एक संगठित अन्तरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में जाली करेंसी बरामद की गई है। गौरतलब हो कि पुलिस को मुखबिर के माध्यम से विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के कनवारा चौराहे के पास महोबा रोड की ओर से नकली भारतीय मुद्रा लेकर आ रहे हैं तथा उन्हें बाजार में खपाने की फिराक में हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल संदिग्धों की चेकिंग शुरु की गई। चेकिंग के दौरान संदिग्ध अवस्था में खड़े दो व्यक्तियों से पूछताछ की गई, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस बल द्वारा तत्परता दिखाते हुए दोनों व्यक्तियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करते हुए तलाशी लेने पर अभियुक्तों के कब्जे से जाली कुल ₹1,12,500/- (₹500 के 225 नकली भारतीय मुद्रा नोट) बरामद किए गए, जिनकी जांच में तथ्य सामने आया कि सभी नकली नोटों पर एक ही सीरियल नंबर अंकित था, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि नोट सुनियोजित रूप से तैयार किए गए थे।

अभियुक्तों की तलाशी के दौरान उनके कब्जे से नकली नोट बनाने में प्रयुक्त उपकरण/सामग्री, प्रिंटर, विभिन्न रंगों की इंक बोतलें (ब्लैक, सायन, मैजेंटा), कटर, फ्रेम, टेप, ब्रश, इमल्शन, डाई, PVC शीट, विशेष प्रकार का कागज एवं अन्य तकनीकी सामग्री बरामद हुई, जिससे नकली भारतीय मुद्रा तैयार की जा रही थी। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा स्वीकार किया गया कि वे असली ₹500 के नोटों का उपयोग कर उनकी नकल तैयार करते थे तथा सुनियोजित तरीके से इन्हें बाजार में चलाने की योजना बना रहे थे। अभियुक्तों के अन्य सहयोगियों तथा गिरोह के नेटवर्क के बारे में विस्तृत जांच की जा रही है। प्रकरण के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बांदा पुलिस आर्थिक अपराधों, जाली मुद्रा जैसे राष्ट्रविरोधी कृत्यों एवं संगठित गिरोहों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

**बरामदगी-**

- 225 भारतीय मुद्रा (500 रुपए) के जाली नोट (01 लाख 12 हजार 500 रुपए)
- 02 भारतीय मुद्रा (500 रुपए सैम्पल के रुप में प्रयुक्त)
- 01 प्रिंटर
- 01 इमल्शन
- 02 बेनासाई
- 03 पीवीसी डिब्बा
- 03 इंक व ए4 साइज पेपर
- 02 मोबाइल फोन
- 01 इस्ताली पारदर्शी शीशा, कटर, फ्रेम, टेप, ब्रश तथा अन्य जाली मुद्रा बनाने के सामग्री/उपकरण

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. राजाराम पुत्र अयोध्या निवासी उटियां थाना कबरई जनपद महोबा।
2. राहुल सिहं पुत्र राजू सिंह निवासी पिडारी थाना कबरई जनपद महोबा।

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0- 12/26 धारा 178/179/181/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. श्री आनंद कुमार प्रभारी एसओजी
2. उ0नि0 श्री आशुतोष त्रिपाठी चौकी प्रभारी मण्डी समिति
3. उ0नि0 श्री प्रीत कुमार पाण्डेय
4. हे0कां0 अश्वनी सिंह
5. कां0 अमित त्रिपाठी
6. कां0 प्रतीक यादव
7. कां0 मनीष मिश्रा
8. कां0 अनुराग यादव
9. कां0 सतीश कुमार